



HAPUR

POLICE



पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में चिन्हित अभियोगों में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए हत्या के प्रयास के अभियोग में एक आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 41,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

Meticulous Investigation & Prosecution



थाना पिलखुवा पर पंजीकृत क्रमशः मु०अ०सं० 52/2018 धारा 307 भादवि व मु०अ०सं० 54/2018 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट बनाम सागर पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम पूठा हुसैनपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ मामले में मा० न्यायालय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय हापुड़ का निर्णय ।



@hapurpolice



Hapur Police



hapurpolice